सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993

यह अधिनियम आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्य विधान मंडलों के प्राधिकार से संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था । बाद में, कुछ अन्य राज्यों द्वारा इसे अपना लिया गया था । यह अधिनियम शुष्क शौचालयों का निर्माण और अनुरक्षण करने तथा किसी व्यक्ति को मानव मल-मूत्र हाथ से उठाने हेतु नियोजित करने को प्रतिषेध करता है ।

अधिनियम का उल्लंघन एक संज्ञेय अपराध होगा, तथा इसका उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है ।